न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—233 / 2021 / 225 आर.टी.एक्ट (2021 / 233)

1. श्री मोहन पुत्र स्व0 श्री मांगू
2. श्री रोडू पुत्र स्व0 श्री पोखर
3. श्री लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री पोखर
4. श्री रामकुमार पुत्र स्व0 श्री पोखर
5. श्री गुलाब पुत्र स्व0 श्री ग्यारसी लाल पौत्र स्व0 श्री मांगू
6. श्रीमती पूसी पुत्री स्व0 श्री मांगू
7. श्रीमती मोहनी पुत्री स्व0 श्री मांगू
8. श्रीमती रामी पुत्री स्व0 श्री मांगू
9. श्रीमती लीला पुत्री स्व0 श्री मांगू
   समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम देराठूं, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र लालचंद सैनी, निवासी—राताखेडा, तहसील नसीराबाद।
2. श्रीमती इन्द्रा पत्नी प्रेम प्रकाश
3. श्रीमती उर्मिला पत्नी भंवरलाल
4. श्रीमती भंवरी पत्नी बृजमोहन
   समस्त जाति अहीर / यादव, निवासी—सुतरखाना, नसीराबाद, जिला अजमेर राजस्थान।
5. श्रीमती शशि ऐरन पत्नी श्री कमल किशोर ऐरन, जाति अग्रवाल, निवासी दूधिया मौहल्ला, नसीराबाद, जिला अजमेर राजस्थान।
6. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाथूसिंह, जाति यादव, निवासी सुतरखाना नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।
7. श्री राजीव मेहरा पुत्र श्री रतनलाल जाति कहार, निवासी मकान नम्बर 3550, बाबू मौहल्ला काली माई रोड, नसीराबाद तहसील नसीराबाद।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 राजस्व वाद संख्या 01 / 2021

उपस्थितः—

1. श्री नरेन्द्र पाराशर / दिनेश कुमार अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मुकेश जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री नवीन गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री सीताराम रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 8
6. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 11.02.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 30.09.2021 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि अपीलाधीन भूमि कि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 803 ग्राम बारापत्थर पटवार मण्डल देरातू पर आवेदनकर्तागण का सन् 1998 से विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त दादा के समय से आज तक चला आया है ऐसी अवस्था में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये पारित किया, आदेश में वर्णित भूमि कि जिसमें आवेदनकर्तागण का हित निहित है, इस कारण आवेदनकर्तागण को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने हेंतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है। मूल अपील में वर्णित अभिवचन के अनुसार भी अपीलाधीन आदेश से आवेदनकर्तागण के हित प्रभावित हुए हैं, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने का आवेदनकर्तागण का हित निहित है, अधिकार है, अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अपीलाधीन भूमि कि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 803 ग्राम बारापत्थर पटवार मण्डल देराठू पर अपीलांट्स का सन् 1998 से विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त दादा के समय से आज तक चला आया है ऐसी अवस्था में अपीलाधीन आदेश जो कि अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये पारित किया, आदेश में वर्णित भूमि कि जिसमें अपीलांट्स का हित निहित है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 153 के खसरा नम्बर 803 के खातेदार रेस्पोडेंट्स संख्या 2 लगायत 5 राजस्व रिकार्ड में खातेदार/काश्तकार दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 803 में से रास्ता दिए जाने बाबत आदेश पारित किए गए थे, परंतु उक्त आराजीयात के खातेदार/काश्तकार अपीलांट्स व उनके पूर्वज नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा स्वयं की आराजीयात खसरा नम्बर 804 में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 206 के खसरा नम्बर 804 के खातेदार/काश्तकार रेस्पोडेंट संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त दोनों ही आराजीयात खसरा नम्बर 803 व 804 जिस आराजीयात में आवागमन के लिए रास्ते की मांग की गई व जिस आराजीयात से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता दिया गया उक्त दोनों ही आराजीयात में अपीलांट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अपीलांट्स द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी कोई विधिक या संतोषजनक कारण नहीं बताए गए है कि वह किस आधार पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा किए गए निर्णय से व्यथित हैं। अपीलांट्स द्वारा मात्र खसरा नम्बर 803 पर दादा के समय से कब्जा काश्त होने बाबत कथन किए गए है। उनके द्वारा ऐसे कोई राजस्व दस्तावेजात न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अपीलांट्स द्वारा खसरा नम्बर 803 से संबंधित वाद अधीनस्थ न्यायालय व राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने का कथन किया गया है, परंतु उक्त प्रकरण किन आधारों पर न्यायालय में चल रहे हैं या उनका किस आधार पर खसरा नम्बर 803 में हक अधिकार निहित है, उनके द्वारा ऐसे कोई राजस्व दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिनसे अपीलांट्स पीडित व व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हो।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.10.2022 को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है, उक्त प्रकरण में भी अपीलांट्स पक्षकार नहीं थे। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है। परंतु अपीलांट्स किस आधार पर उक्त आदेश से पीडित हैं यह बताने में असमर्थ रहे हैं।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष पक्षकार ही नहीं थे तो किस आधार पर उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है या वे उक्त आदेश से किस प्रकार पीडित है। चूंकि यह प्रार्थी पर निर्भर करता है कि यदि वह किसी प्रकार से पीडित है

तो न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर अपना उपचार मांग सकता है परंतु अपीलांट के उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित नहीं कर पाए है, केवल प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2020 आर0बी0जे0 पेज 569

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: *जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि निर्णय का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।*

अवलोकन किए जाने के पश्चात उक्त न्यायिक नजीर प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर